Print Date:-28/Mar/2026 02:40 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 28-03-2026 14:40:44

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26030130059

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 28-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकारणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	**13**	अमृत योजनांतर्गत पेयजल विभाग को सेंटेज चार्ज
00	-		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	1	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान य गैर वेतन)	0	90000000	0	90000000
	योग	0	90000000	0	90000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 9,00,00,000 (Rupees Nine Crores Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2603:0025

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2026–07(सा0)2024(92362)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक : मार्च, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष, 2025–26 में अमृत योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम के लिए सेन्टेज की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6402, दिनाक 27.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिसके अमृत योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड पेयजल निगम को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष उनके द्वारा वर्तमान में उपयोगिता धनराशि रू 9131.62 लाख पर 12.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज के रूप में रू0 1141.45 लाख के सापेक्ष 1109.01 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी विकास निदेशालय , उत्तराखण्ड के स्तर से अमृत 1.0 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पेयजल निगम को सेन्टेज के रूप में दिये जाने हेतु आंकलित धनराशि रू0 1109.01 लाख के सापेक्ष **कुल रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तद्नुसार उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि रू0 **900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कार्मिकों का वेतन, भत्तों, देयकों के भुगतान हेतु ही किया जाय, धनराशि का व्यावर्तन (Diversion) किसी भी दशा में योजनाओं की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु नहीं किया जायेगा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि, नियमानुसार आवयश्कता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों/कार्यों पर किया जाय, जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(6) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2025, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) भारत सरकार द्वारा जिन योजनाओं हेतु प्रशासनिक प्रभार अनुमन्य किया है, उनमें प्रशासनिक प्रभार की राशि को भी सेन्टेज प्रभार की देय राशि की गणना के लिये कुल लागत में कम किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में सेन्टेज उतना प्रतिशत कम देय होगा, जितना प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार भारत सरकार ने अनुमन्य किया है।

(8) पेयजल निगम को उपरोक्त धनराशि यदि किसी अन्य श्रोत से प्राप्त होती है अथवा प्राप्त हुयी है, तो पेयजल निगम द्वारा धनराशि तत्काल राजकोष में जमा करायी जायेगी, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून का होगा।

(9) सैन्टेज के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287566, दिनांक 31.03.2025 में निर्गत दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अमृत 1.0 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगित धनराशि के आंकलन एवं तद्नुसार सेन्टेज की धनराशि के आंकलन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथमतः कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगत तथा उक्त के उपरान्त शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड का होगा। अतः सेन्टज कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने से पूर्व समयान्तर्गत पुनः समीक्षा कर ली जाय।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–13
–अमृत योजनान्तर्गत पेयजल विभाग को सेंटेज चार्ज–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 287566, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 28-03-2026
12:57:20

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

<u>सं0– /IV(2)-श0वि0–2026, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड बुक।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।